

# डाकघरों में स्पीड पोस्ट बुकिंग व बचत सेवाओं के लिए काउंटर खुले रहेंगे

लखनऊ। कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई आपात स्थिति एवं लॉकडाउन के बीच भी राजधानी लखनऊ में आवश्यक सेवा के रूप में डाकघर कार्यरत हैं। भारत सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं में डाक सेवाओं को रखा है। इसी क्रम में हजरतगंज स्थित चीफ पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय के साथ-साथ पोस्टमास्टर जनरल, लखनऊ परिक्षेत्र, महाप्रबंधक (वित्त), प्रवर डाकघर अधीक्षक, चीफ पोस्टमास्टर जीपीओ कार्यालय भी आवश्यक स्टाफ के साथ खुले रहे। लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के निदेशक डाक सेवाएँ कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि राजधानी में जीपीओ और चौक प्रधान डाकघर सहित 16 बड़े डाकघर लोगों की सुविधा के लिए कार्य कर रहे हैं। इन डाकघरों में लोगों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम स्टाफ को ही बुलाया जा रहा है, और मास्क व हैण्ड सेनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है।

डाक निदेशक कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि, इन डाकघरों में स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल की बुकिंग के साथ-साथ बचत सेवाओं व डाक जीवन बीमा सम्बंधित लेन-देन किये जा रहे हैं। इण्डिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ओटीपी आधारित सेवाएं चालू रहेंगी। फ़िलहाल, डाकघरों में आधार इनरोलमेंट व अपडेशन की सेवा एवं अंतर्राष्ट्रीय मेल की बुकिंग स्थगित कर दी गई है। बस, ट्रेन, फ्लाइट इत्यादि यातायात सेवाएं बंद होने के साथ ही डाक का आवागमन भी रुक जायेगा, ऐसे में काउंटर पर बुक हो रही डाक का वितरण इनके सुचारु रूप से आरम्भ होने के बाद ही होगा। डाक विभाग ने एकाउंटेबल आर्टिकल्स के वितरण पर भी अस्थाई रोक लगा दी है। डाक विभाग ऐसे लोगों को फोन पर सूचना देगा, जिनकी डाक प्राप्त हुई है और उसके बाद अगर किसी को जरूरत होगी तो वह खुद डाकघर आकर उसे प्राप्त करेगा, अन्यथा इसे डाकघर में ही सुरक्षित रख दिया जायेगा।

वित्तीय वर्ष का समापन होने के चलते भी लोग टैक्स सेविंग्स योजनाओं में निवेश के लिए डाकघरों में आ रहे हैं। इनमें अधिकतर सरकारी कर्मचारी हैं। डाक निदेशक कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि, राष्ट्रीय बचत पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्राविडेंट फंड, 5 वर्षीय सावधि जमा, डाक जीवन बीमा जैसी योजनाओं में टैक्स सेविंग्स की सुविधा मिलती है। आवर्ती जमा खाता (आरडी) में हर माह पैसा जमा करना होता है। तमाम बचत योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें वर्ष भर में न्यूनतम एक ट्रांजेक्शन करना होता है। ऐसे में भी डाकघरों की तरफ लोग आ रहे हैं। फ़िलहाल, ग्राहकों की सुविधा के लिए डाक जीवन बीमा योजना में मार्च माह का प्रीमियम जमा करने के लिए 30 अप्रैल तक की सीमा बढ़ा दी गई है, इसके लिए कोई डिफाल्ट राशि नहीं ली जाएगी।